

32

क  
१५२१  
इलाक़ेज



CR 20

सम्माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मा प्रो ग्वालियर, कैंप, सागर

निगरानी-6223/2018/दमोह/भू-20

सिब्बू उर्फ सब्बू पिता डिल्ला अहिरवार

साकिन- ग्राम भाटखमरिया तहसील जबेरा, जिला दमोह म.प्र.

...पुनरीक्षणकर्ता

// बनाम //

- 1- प्रकाश वल्द फुन्दीलाल राय
- 2- संतोष वल्द पूरन गौंड
- 3- गुड्डू वल्द पूरन गौंड
- 4- कौशल्या पति पूरन गौंड

सभी निवासी ग्राम - भाट खमरिया तहसील जबेरा जिला दमोह म.प्र.

--- उत्तरार्थगण

पुनरीक्षण/निगरानी अंतर्गत धारा 50 मप्र भू. राजस्व संहिता 1959 के तहत :-

आपेदक/पुनरीक्षणकर्तागण यह आपेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्र.क्र. 53-अ65 वर्ष 2017-18 के पक्षकार प्रकाश राय विरुद्ध संतोष गौंड वगैरह मौजा ग्राम भाट खमरिया तहसील जबेरा जिला दमोह के दुस्तती बाबत उक्त प्रकरण में पारित दिनांक- 24-05-2018 के विवादित आदेश से परिवेदित व दुखी होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण/निगरानी याचिका - सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है :-

प्रकरण के तथ्य व पुनरीक्षण/निगरानी याचिका के आधार :-

जिला दमोह की जबेरा

M/s  
Amedw.  
B-OK  
09 OCT 2018

सागर द्वारा प्रस्तुत.  
[Signature]

14  
5/10/18

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-6223/2018/दमोह/भू.रा.

सिब्बू उर्फ सब्बू विरुद्ध प्रकाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
09-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री वासुदेव चंदेल अभिभाषक एवं आवेदक श्री सिब्बू स्वयं उपस्थित।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 53/अ-65/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24-05-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 09-10-2018 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर आयुक्त के अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यह निगरानी नवीन संशोधन के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p>3/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p>3</p> <p>(आर0के0-जैन) सदस्य</p>	